आरबी टेली 6/2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं.2010/टेली/11(2)/1 **नई दिल्ली, दिनांक 30/04/2015**

महाप्रबंधक
सभी भारतीय रेलें, सभी उत्पादन इकाइयां, कोर/ इलाहाबाद
महानिदेशक/ अ.अ.मा.सं. एवं रेलवे स्टाफ कालेज, महानिरीक्षक/ आरपीएसएफ
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कॉफमो, डीसीडब्ल्यू, आईआरपीएमयू एवं छपरा तथा रायबरेली स्थित नई उत्पादन इकाइयां
निदेशक/ इरिसेट, इरिसेन, इरीन, इरिमी, आईआरआईटीएम
अध्यक्ष, सभी भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड।

विषय:- भारतीय रेलों के सीयूजी फोनों के प्रावधान से संबंधित नई संविदा को अंतिम रूप देना।

संदर्भ:
(i) **बोर्ड का दिनांक 07.06.2006 का पत्र सं. 2004/टेली/टीएन/3**
(ii) **बोर्ड का दिनांक 27.07.2007 का पत्र सं. 2006/टेली/टीएन/1**
(iii) **बोर्ड का दिनांक 15.02.2008 का पत्र सं. 2004/टेली/टीएन/3 पार्ट**
(iv) **बोर्ड का दिनांक 21.10.2011 का पत्र सं. 2010/टेली/11(2)/1**

*****

रेलवे बोर्ड ने रेलटेल को भारतीय रेलों के लिए नई सीयूजी योजना को अंतिम रूप देने की जिम्मेवारी सौंपी है, क्योंकि मौजूदा योजना की वैधता 30.04.2015 को समाप्त हो रही है। रेलटेल द्वारा अब नई सीयूजी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और मैसर्स एयरटेल लिमिटेड को इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए संविदा प्रदान कर दी गई है।

रेलटेल ने भारतीय रेलों में मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड के साथ सीयूजी की कार्यान्वयन योजना को भी अंतिम रूप दे दिया है। नई सीयूजी योजना 01.05.2015 से लागू होगी। इस सीयूजी योजना के कार्यान्वयन से संबंधित पद्धति का ब्यौरा संलग्न जेडब्ल्यूओ में दिया गया है। उपयोगकर्ताओं की वित्तीय सीमा वही रहेगी जो क्रम सं. 1 पर उपर्युक्त संदर्भित पत्र के तहत सूचित की गई है। इस नई संविदा में मासिक किराया शून्य किया गया है।

2/-

सभी क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, केन्द्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों, रेलवे भर्ती बोर्डों आदि को एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि वे मौजूदा सीयूजी नीति संबंधी मार्ग-निदेशों के अनुसार सीयूजी कनेक्शनों के लिए इस योजना का उपयोग करें। डाउनलोड करने के लिए जेडब्ल्यूओ http://tele.rb.railnet.gov.in/wiki/policy पर उपलब्ध है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
संलग्नक: यथोक्त

(शोभन चौधरी)
कार्यपालक निदेशक (दूरसंचार विकास)
ई मेल: edtd@rb.railnet.gov.in
फैक्स- 030-44198/011-23304198

सं.2010/टेली/11(2)/1

नई दिल्ली, दिनांक 30/04/2015

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उप नियंत्रक एव महा लेखापरीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (80 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/ रेलवे